HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग Ш—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] No. 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2004/माघ 3, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2004/MAGHA 3, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सं. 1-6/2002-ए एण्ड एल.— समय—समय पर यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की उप—धारा 10(1) और 36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001; में संशोधन करके जिसे अब आगे 'मूल विनियम' कहा जाएगा, 'ट्राई' के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों (स्टाफ) की नियुक्ति को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2004

(2004 का क्रमांक 1)

माग-।-प्रारंभिक

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः
- (i) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2004 कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग - II - स्टाफ संवर्ग संबंधी विनियम

2 (i) 'मूल विनियम' के स्टाफ संवर्ग से संबंधित, खंड 14 (iii) की सारणी 'ख' में ड्राइवर के ग्रेड / पद के बाद, निम्नलिखित ग्रेड / पद जोड़े जाएंगे, याने:—

फोटोकापी मशीन आपरेटर

डिस्पैच राइडर

(ii) 'मूल विनियम' के भर्ती की पद्धतियों से संबंधित खंड 16(i) में ड्राइवर के पद के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, याने :--

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता / अनुभव
फोटोकापी मशीन आपरेटर		अनुसूची Ⅱ के अनुसार
	प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा	
	पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा	и
डिस्पैच राइडर	–यथोपरि–	–यथोपरि–

(iii) अनुसूची —II स्टाफ संवर्ग में — ड्राइवर के पद के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, याने :--

पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीघी मर्ती के लिए अर्हता (योग्यता) व अनुभव	and the second s	स्थानांनतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता (योग्यता) व अनुभव	सीघी मर्ती के लिए आयु सीमा
फोटोकापी मशीन आपरेटर	स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा पदोन्नति/ सीधी भर्ती द्वारा	(i) मेट्रीकुलेशन (ii) फोटोकापी मशीन चलाने का एक वर्ष का अनुभव	(i) समूह 'घ' में 3 वर्ष की नियमित सेवा (i) फोटोकापी मशीन चलाने का एक वर्ष का अनुभव	(i) मेट्रीकुलेशन (ii) फोटोकापी मशीन चलाने का एक वर्ष का अनुभव	40 वर्ष
डिस्पेच राइडर	स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा पदोन्नति सीधी भर्ती द्वारा	(i) आठवीं पास (ii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा चलाने का वैध लाइसेंस रखता हो, (iii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा की मशीन की इतनी जानकारी हो कि छोटी—मोटी खराबियां दूर कर सकता हो (iv) मोटर साइकिल या आटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव (v) अंग्रेजी और हिंदी पढ़ सकता हो,	(i) समूह 'घ' में 3 वर्ष की नियमित सेवा (ii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा चलाने का वैध लाइसेंस रखता हो, (iii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा की मशीन की इतनी जानकारी हो कि छोटी—मोटी खराबियां दूर कर सकता हो (iv) मोटर साइकिल या आटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव (v) अग्रेजी और हिंदी पढ़ सकता हो,	(i) आठवीं पास (ii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा चलाने का वैध लाइसेंस रखता हो, (iii) मोटर साइकिल / आटोरिक्शा की मशीन की इतनी जानकारी हो कि छोटी—मोटी खराबियां दूर कर सकता हो (iv) मोटर साइकिल या आटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव (v) अंग्रेजी और हिंदी पढ़ सकता हो,	40 वर्ष

अनुसूची - III - चयन समिति का गठन -(iv)

क्रम संख्या 9 के बाद, निम्नलिखित पद / चयन समिति का गठन जोड़ा जाएगा, याने :--

क्रम सं. 9 क

पद का नाम

डिस्पैच राइडर

चयन समिति का गठन

फोटोकापी मशीन आपरेटर

संयुक्त / उपसलाहकार (ए एंड पी) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी) अध्यक्ष

सदस्य

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जी ए)

सदस्य

वाई.के गेहा, सलाहकार (ए एण्ड एल)

[विज्ञापन III/IV/142/2003/असा.]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2004

No. 1-6/2002-A&L.— In exercise of the powers conferred by the sub-section 10(1) read with 36(1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended for time to time, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following Regulation governing appointment of the Officers and Other employees of TRAI by an amendment to the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001, herein after referred to as 'Principal Regulation' by notification in the Official Gazette.

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (1st Amendment) Regulation, 2004

[1 of 2004]

PART I - PRELIMINARY

- 1 Short title and commencement
 - This Regulation shall be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers (i) and Staff Appointment) (1st Amendment) Regulation, 2004
 - (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

PART II - REGULATION RELATING TO THE STAFF CADRE

2. In Table B. of clause 14(iii) of the 'Principal Regulation' pertaining to Staff Cadre-(i) after the grade/post of Driver, the following grade/posts shall be inserted, namely:-

"PHOTOCOPY MACHINE OPERATOR"

"DESPATCH RIDER"

M2 . 15 %

(ii) In clause 16(i) of the 'Principal Regulation' pertaining to Method of Recruitment – after the post of Driver, the following shall be inserted, namely

(iii) In Schedule-II Staff Cadre - after the post of Driver, the following posts shall be inserted, namely:-

Name of Post	Mode of Recruitment	experience for Direct Recruit	Length of service for promotion/expe rience	The state of the s	Age for Direct Recruit
Photo Copy Machine Operator	By Transfer on deputation failing which by promotion/ direct recruitment	(i) Matriculation (ii) One year experience of operating photocopy machines	(i) 3 years regular service in group 'D'ii) One year experience of operating	(i) Matriculation (ii) One year experience of operating photocopy machines	Not exceeding 40 years
	Service Servic		photocopy machines		SE.
Déspatch Rider	By Transfer on deputation failing which by promotion/ direct recruitment	(i) 8 th Pass (ii) Possession of a valid driving licence for motorcycle/ autorickshaw,	(i) 3 years regular service in Group 'D' ii) Possession of a valid driving	(i) 8 th Pass (ii) Possession of a valid driving licence for motorcycle/	Not exceeding 40 years
		(iii) Knowledge of motorcycle/auto rickshaw mechanism to be able to remove minor defects in the	licence for motorcycle/ auto rickshaw; (iii) Knowledge of motorcycle/	auto rickshaw; (iii) Knowledge of motorcycle/auto rickshaw	
		vehicle; (iv) Two years experience of driving motorcycle or	auto rickshaw mechanism to be able to remove minor defects in the vehicle;	mechanism to be able to remove minor defects in the vehicle;	
t på visi Zidders		autorickshaw; (v) ability to read English and Hindi.	(iv) Two years experience of driving motorcycle or autorickshaw;	(iv) Two years experience of driving motorcycle or autorickshaw;	
			(v) ability to read English and Hindi.	(v) ability to read English and Hindi.	

(iv) In Schedule III – Composition of the Selection Committee – after serial number 9, the following posts/composition of Selection Committee shall be inserted, namely:-

Sl. No	Name of the post	Composition of the Selection Committee		
9 A	Photo Copy Machine Operator/ Despatch Rider	Jt/Dy. Advisor (A&P) Sr. R.O (A&P) Sr.R.O (GA)	Chairman Member Member	

Y. K. GAIHA, Advisor (A&L) [ADVT III/IV/142/2003/Exty.]